"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2020 — माघ 4, शक 1941

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 जनवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–19/2010/16.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 14) की धारा 7 तथा धारा 33–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा,–

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 14) के प्रावधानों के अधीन औद्योगिक विवादों के किसी भी विषय, जो कि उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित है, के न्याय निर्णयन करने तथा ऐसे कर्तव्यों, जो श्रम न्यायालय को सौंपे जाये, के पालन करने के लिए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लेखित श्रम न्यायालयों का गठन करता है और उन्हीं पीठासीन अधिकारियों को सशक्त किया जाता है, जो कॉलम (3) में उल्लेखित है और जो उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (3) के खण्ड (ख), (घ) एवं (ङ.) के अनुसार क्रमशः कम से कम तीन वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश रह चुका हो अथवा भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम सात वर्ष तक धारण कर चुका हो अथवा श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में पांच वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर चुका हो:–

सारणी

स.क्र.	श्रम न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	श्रम न्यायालय, दुर्ग	पीठासीन अधिकारी, दुर्ग
2.	श्रम न्यायालय, राजनांदगांव	पीठासीन अधिकारी, राजनांदगांव
3.	श्रम न्यायालय, रायपुर	पीठासीन अधिकारी, रायपुर
4.	श्रम न्यायालय, जगदलपुर (बस्तर)	पीठासीन अधिकारी, जगदलपुर (बस्तर)
5.	श्रम न्यायालय, बिलासपुर	पीठासीन अधिकारी, बिलासपुर
6.	श्रम न्यायालय, अंबिकापुर	पीठासीन अधिकारी, अंबिकापुर
7.	श्रम न्यायालय, रायगढ़	पीठासीन अधिकारी, रायगढ़
8.	श्रम न्यायालय, कोरबा	पीठासीन अधिकारी, कोरबा
9.	श्रम न्यायालय, क्रमांक–2 रायपुर	पीठासीन अधिकारी, क्रमांक–2 रायपुर
10.	श्रम न्यायालय, महासमुंद	पीठासीन अधिकारी, महासमुंद
11.	श्रम न्यायालय, धमतरी	पीठासीन अधिकारी, धमतरी
12.	श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार	पीठासीन अधिकारी, बलौदाबाजार
13.	श्रम न्यायालय, जांजगीर–चॉपा	पीठासीन अधिकारी, जांजगीर–चॉपा
14.	श्रम न्यायालय, मनेन्द्रगढ़	पीठासीन अधिकारी, मनेन्द्रगढ़

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन समस्त प्रकरणों, जो पूर्व की अधिसूचनाओं द्वारा गठित संबंधित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित थी, को प्रत्याहरित करता है और उन्हें इस अधिसूचना के अधीन गठित संबंधित श्रम न्यायालयों को अंतरित करता है तथा आगे निर्देश देता है कि अंतरिती श्रम न्यायालय, उक्त प्रकरणों की कार्यवाहियों को उसी प्रक्रम से आगे चलायेंगे, जिस पर कि वे उनको अंतरित हुई है।

(ग) यह अधिसूचना दिनांक 13 नवम्बर, 2019 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 10–19/2010/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–19/2010/16 दिनांक 24–01–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 24th January 2020

NOTIFICATION

No. F 10-19/2010/16.— In exercise of the powers conferred by Section 7 and 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947), and in supersession of all previous notifications, the State Government, hereby, -

(a) constitutes the Labour Courts as mentioned in column number (2) of the Table below, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947), for adjudicating any subject of industrial dispute as mentioned in the Second Schedule of the said Act and performing the duties assigned to the Labour Court and empowers only those presiding officers as mentioned in column (3) who has been a District Judge or an Additional District Judge for a period not less than three years or has held any judicial office in India for not less than seven years or has completed five years of service as Presiding Officer in Labour Court as per clause (b), (d) and (e) of sub-section (3) of Section 7 of the said Act, respectively:-

TABLE

S.No.	Name of Labour Court	Presiding Officer
(1)	(2)	(3)
1.	Labour Court, Durg	Presiding Officer, Durg
2.	Labour Court, Rajnandgaon	Presiding Officer, Rajnandgaon
3.	Labour Court, Raipur	Presiding Officer, Raipur
4.	Labour Court, Jagdalpur (Bastar)	Presiding Officer, Jagdalpur (Bastar)
5.	Labour Court, Bilaspur	Presiding Officer, Bilaspur
6.	Labour Court, Ambikapur	Presiding Officer, Ambikapur
7.	Labour Court, Raigarh	Presiding Officer, Raigarh
8.	Labour Court, Korba	Presiding Officer, Korba
9.	Labour Court No.2, Raipur	Presiding Officer No.2, Raipur
10.	Labour Court, Mahasamund	Presiding Officer, Mahasamund
11.	Labour Court, Dhamtari	Presiding Officer, Dhamtari
12.	Labour Court, Baloda Bazar	Presiding Officer, Baloda Bazar
13.	Labour Court, Janjgir-Champa	Presiding Officer, Janjgir-Champa
14.	Labour Court, Manendragarh	Presiding Officer, Manendragarh

(b) withdraws all the pending cases under the said Act in respective Labour Courts constituted by the previous notifications and transfers to respective Labour Courts constituted under this notification and it is further directed that transferee Labour Courts shall take further proceedings of said cases from the stage they are transferred to them.

(c) This notification shall be applicable from 13th November, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUBODH KUMAR SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.